उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 11/3/1991–का०–2–92

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और प्रवर्तन

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली, 1992 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन समस्त सिविल सेवाओं और पदों पर प्रवृत्त होगी।

परिभाषाए

2–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली से,–

(क) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ख) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(घ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण

3–राज्य के कार्य–कलापों के सम्बन्ध में, किसी सेवा या पद पर भर्ती की अधिकतम आयु को विनियमित करने वाले किसी नियम में, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्यपाल द्वारा, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के किसी वर्ग के पक्ष में, अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण प्रदान किया जा सकता है:

परन्तु उन मामलों में, जिनमें भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है, शिथिलीकरण प्रदान किए जाने के पूर्व, उस निकाय से परामर्श किया जाएगा।

आज्ञा से,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

संख्या 11/3/1991 (1)–कार्मिक–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4–सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0।

आज्ञा से,
फतह नारायण प्रधान,
विशेष कार्याधिकारी।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 11/3/1991–Personnel-2. dated July 23, 1992:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2

NO. 11/3/1991–Personnel-2-92

Dated Lucknow, July 23, 1992

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the *proviso* to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the governor is pleased to make the following rules :

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RELAXATION OF THE AGE-LIMITS FOR RECRUITMENT) RULES, 1992

Short title, commencement and application.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Public Services (Relaxation of the age-limits for recruitment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force atonce.

(3) They shall apply to all civil services and posts under the rule making power of the Governor under *proviso* to Article 309 of the Constitution.

Definition

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission ;

(b) "Constitution" means the Constitution of India ;

(C) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(d) "State" means the State of Uttar Pradesh.

Relaxation of the age-limits for recruitment

3. Notwithstanding anything to the contrary in any rule-regulating the maximum age of recruitment to a service or post in connection with the affairs of the State, relaxation in the maximum age-limit may be granted by the Governor in favour of a candidate or a class of candidates."

Provided that in the case in which recruitment is made through the Commission, that body shall be consulted before the relaxation is granted.

By order,
O. P. ARYA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 1 सा० नियुक्ति–15–4–2010–(94)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।